रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2016/अग्रहयण 1, 1938
No. 421] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2016/AGRAHAYANA 1, 1938

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2016

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसाय एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016

आईबीबीआई/2016-17/जी.एन./आरईजी 001.— दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 196, 203 और 205 के साथ पठित धारा 240 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय-I

प्रारंभिक

लघुशीर्ष और प्रारंभ.

1. (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसाय एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये विनियमन इनके राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं.

2. (1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो –

(क) "संहिता" का अर्थ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "शासी बोर्ड" का अर्थ दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकृत कंपनी के निदेशक मंडल से है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(10) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है;

(ग) "आदर्श उप-विधियों" का अर्थ इन विनियमनों के प्रथम अनुसूची में शामिल उप-विधियों से है।

(2) जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो इन विनियमनों में उपयोग किए गए और परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियां का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संहिता में दिया गया है।

अध्याय-II

उप-विधियां

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों की उप-विधियां होगी.

3. (1) कोई कंपनी, बोर्ड को अपनी उप-विधियां दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकरण संबंधी आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी।

(2) इन उप-विधियों में आदर्श उप-विधियां में विनिर्दिष्ट सभी मामले शामिल करने होंगे।

(3) ये उप-विधियां सभी समय में आदर्श उपविधियों से सुसंगत होंगी।

(4) दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां अपनी उप-विधियां, गठित सभी समितियों की संरचना तथा उप-विधियों के तहत सृजित सभी नीतियों को अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करेंगे।

उप-विधियों में संशोधन.

4. (1) शासी बोर्ड उप-विधियों में मतदान द्वारा संकल्प पारित कर संशोधन कर सकती है बशर्ते कि संशोधन के विपक्ष में वोट डालने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन गुना सदस्य पक्ष में वोट करें ऐसा न होने पर निदेशकों द्वारा संकल्प के विरुद्ध मत माना जा सकता है।

(2) उप विनियमन (1) के अनुसार पारित संकल्प को बोर्ड के पास इसके पारित होने की तारीख से सात दिन के भीतर उसकी अनुमति के लिए दायर किया जाएगा।

(3) उप-विधियों में संशोधन उसकी अनुमति की प्राप्ति के सातवें दिवस से प्रवृत्त होगा जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

(4) दिवाला व्यवसाय एजेंसी संशोधित उप-विधियों की मुद्रित प्रति बोर्ड में पंद्रह दिवस के भीतर उस तारीख से दायर करेगी जब ऐसे संशोधन प्रभावी किए जाते हैं।

अध्याय-III

शासी बोर्ड

शासी बोर्ड का गठन

5. (1) शासी बोर्ड में कम से कम सात निदेशक होंगे।

(2) निदेशकों में से आधे से अधिक व्यक्ति उनकी नियुक्ति के समय, और उनके निदेशकों के पूरे कार्यकाल के दौरान भारत के निवासी होंगे।

(3) एक-चौथाई निदेशकों से अधिक दिवाला व्यावसायिक नहीं होंगे।

(4) निदेशकों में से आधे से अधिक निदेशक उनकी नियुक्ति के समय और उनके निदेशकों के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र निदेशक होंगेः

बशर्ते कि शासी बोर्ड की कोई बैठक कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के बिना आयोजित नहीं की जाएगी।

(5) एक स्वतंत्र निदेशक वह व्यक्ति होगा –

(क) जो कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति हो;

(ख) जिसके पास वित्त, कानून, प्रबंधन या दिवाला के क्षेत्र में विशेषज्ञता हो;

(ग) जो दिवाला व्यावसायिक न हो;

(घ) जो शासी बोर्ड के निदेशकों का संबंधी न हो;

(ड.) जिसका दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं था/नहीं है या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की शेयरपूंजी में दस प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखने वाले किसी शेयरधारक या निदेशकों के साथ पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक लाभ का संबंध न रहा हो/न है;

(च) जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का शेयरधारक न हो;

(छ) जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की दस प्रतिशत से अधिक शेयरपूंजी धारित करने वाले किसी शेयरधारकों की शासी बोर्ड का सदस्य नहीं हो और

(6) निदेशक, स्वतंत्र निदेशक को शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे।

स्पष्टीकरण – इन विनियमनों के उद्देश्य के लिए, इसमें किसी अंश के लिए

(क) आधी से अधिक संख्या को उच्चतर संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा; और

(ख) ऐसी संख्या जो एक-चौथाई से अधिक न हो को पिछली निम्नतर संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा।

अनुसूची

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की आदर्श उप-विधियां

[विनियमन 3 के अंतर्गत पठित विनियमन 2(1)(ग)]

I. सामान्य

1. दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम "............" (जिसे इसके बाद "एजेंसी" कहा जाएगा)।

2. एजेंसी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के साथ पंजीकृत है के अंतर्गत और इसके पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है [पूरा पता दीजिए]।

3. इन उप-विधियों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 के सिवाय, संशोधित नहीं किया जा सकता।

II. परिभाषाएं

4. (1) इन उप-विधियों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "सदस्यता प्रमाणपत्र" का आशय एजेंसी का सदस्यता प्रमाणपत्र है जो उप-विधि 10 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है;

(ख) "संहिता" का आशय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) से है;

(ग) "शासी बोर्ड" का आशय एजेंसी के निदेशक मंडल से है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(10) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है;

(घ) "व्यावसायिक सदस्य" का आशय दिवाला व्यावसायिक से है जिसका इस प्रकार इन उप-विधियों के भाग-VI के अनुसार नामांकन किया गया है;

(ड.) "संबंधी" का वही अर्थ होगा जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में वर्णित है।

(2) जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिसे इन उप-विधियों में परिभाषित नहीं किया गया है का वही अर्थ होगा जो इसे संहिता में दिया गया है।

III. उद्देश्य

5. (1) यह एजेंसी, संहिता के अंतर्गत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के कार्य, और उसके आकस्मिक कार्य करेगी।

(2) एजेंसी उप-खंड (1) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सिवाय कोई अन्य कार्य जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के कार्यों के निवर्हन से सुसंगत नहीं हो, नहीं करेगी।

IV. एजेंसी के कर्त्तव्य

6. (1) एजेंसी, इसके व्यावसायिक सदस्यों के विनियमन में उच्च नैतिक और व्यावसायिक मानदंडों का अनुरक्षण करेगी।

(2) एजेंसी –

(क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी और दिवाला व्यवसायिकों के कार्य व्यवहार को शासित करने के लिए जारी किए गए संहिता और नियमों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमन और दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी;

(ख) इसके व्यावसायिक सदस्यों के नामांकन और विनियमन के लिए उचित तार्किक न्यायोचित और गैर-भेदभाव वाली पद्धतियां अपनाएगी;

(ग) इसके व्यावसायिक सदस्यों को जारी निदेशों और उप-विधियों के संबंध में बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगी;

(घ) दिवाला व्यवसायिकों के पेशे को विकसित करेगी;

(ङ) व्यावसायिक सदस्यों के सतत् व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देगी;

(च) इसके आंतरिक विनियमनों और दिशानिर्देशों में निरंतर सुधार करेगी ताकि इसके व्यावसायिक सदस्यों द्वारा उच्च व्यावसायिक और नैतिक आचरण का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके; और

(छ) और इसकी गतिविधियों के बारे में बोर्ड को सूचना प्रदान करेगी।

V. एजेंसी की समितियां

व्यावसायिक सदस्यों की सलाहकार समिति

7. (1) निम्नलिखित किसी मामले में सलाह देने के लिए शासी बोर्ड, एजेंसी के व्यावसायिक सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन कर सकती है –

(क) व्यावसायिक विकास के लिए,

(ख) व्यावसायिक मानदंडों और नैतिक आचरण, और

(ग) दिवाला संकल्प, समापन और शोधन अक्षमता के संबंध में उत्कृष्ट पद्धतियां बनाने में,

(2) सलाहकार समितियां ऐसे स्थान और समय पर बैठक कर सकती हैं जो शासी बोर्ड निर्धारित करे।

एजेंसी की अन्य समितियां.

8. (1) शासी बोर्ड निम्नलिखित गठित करेगा –

(क) एक या अधिक सदस्यता वाली समिति(यां), जिसमें ऐसे सदस्य शामिल हों जिन्हें वह उचित समझे;

(ख) एक निगरानी समिति, जिसमें ऐसे सदस्य हों, जिन्हें वह उचित समझे;

(ग) एक या अधिक शिकायत निवारण समिति(यां) जिसमें तीन से कम सदस्य न हों, उनमें से कम से कम एक सदस्य एजेंसी का व्यावसायिक सदस्य हो;

(घ) एक या अधिक अनुशासन समिति(यां), जिसमें कम से कम एक सदस्य बोर्ड द्वारा नामित हो।

(2) इन प्रत्येक समितियों का अध्यक्ष एजेंसी का स्वतंत्र निदेशक होगा।

VI. व्यावसायिक सदस्यता

नामांकन के लिए अर्हता

9. किसी व्यक्ति को व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा, यदि वह बोर्ड में दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हक नहीं है:-

परंतु कि शासी बोर्ड नामांकन हेतु अतिरिक्त अर्हताओं की अपेक्षा करे:

परंतु यह और कि आगे ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाएं धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या व्यावसायिक संबद्धता के आधार पर नहीं होंगी।

व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन की प्रक्रिया

10. (1) कोई व्यक्ति व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप, तरीके और ऐसी फीस के साथ प्रस्तुत कर सकता है जिसे एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) एजेंसी लागू संहिता के प्रावधानों और नियमों, विनियमनों और उसके अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन की जांच करेगी।

(3) एजेंसी आवेदन की जांच पर आवेदक को आवेदन में कोई कमी, यदि कोई हो, तो, उसको दूर करने का अवसर देगी।

(4) एजेंसी किसी आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना और स्पष्टीकरण जिसे वह उचित समझे, उचित समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है।

(5) एजेंसी आवेदन को अस्वीकृत कर सकती है यदि आवेदक नामांकन के मापदंड को पूरा नहीं करता है या कमियों को दूर नहीं करता है या उनकी संतुष्टि के लिए अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत नहीं करता है, जिसके कारण लिखित में दर्ज किए गए हैं।

(6) आवेदन को निरस्त करने की सूचना आवेदक को ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ऐसे निरस्तीकरण के कारण बताते हुए दी जाएगी, इसमें कमियों को दूर करने या अतिरिक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करने या एजेंसी द्वारा स्पष्टीकरण, जैसा भी मामला हो, के लिए दिया गया समय सम्मिलित नहीं होगा।

(7) आवेदन की स्वीकृति की सूचना अनुलग्नक के प्रारूप क में सदस्यता के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक को दी जाएगी।

(8) आवेदक अपने आवेदन के निरस्त होने के निर्णय से व्यथित होने पर एजेंसी की सदस्यता समिति में ऐसे निर्णय की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर अपील कर सकता है।

(9) सदस्यता समिति अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील का ऐसे तरीके, जिसे वह उचित समझे, से निपटान करते हुए एक आदेश पारित करेगी।

व्यावसायिक सदस्यता शुल्क

11. एजेंसी व्यावसायिक सदस्यों से एक निश्चित धनराशि उनके वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में भुगतान करने की अपेक्षा कर सकती है।

व्यावसायिक सदस्यों का रजिस्टर

12. (1) एजेंसी इसके व्यावसायिक सदस्यों का रजिस्टर रखेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) नाम,

(ख) पहचान का प्रमाण,

(ग) संपर्क विवरण,

(घ) पता,

(ङ) नामांकन तारीख और व्यावसायिक सदस्यता संख्या,

(च) बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण की तारीख और रजिस्ट्रीकरण संख्या,

(छ) एजेंसी या बोर्ड के पास उसके विरुद्ध लंबित शिकायतों का विवरण,

(ज) एजेंसी या बोर्ड के पास उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण, और

(झ) एजेंसी या बोर्ड की अनुशासन समिति के द्वारा उसके विरुद्ध पारित आदेशों का विवरण।

(2) व्यावसायिक सदस्यों से संबंधित रिकॉर्ड निम्नलिखित को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा –

(क) बोर्ड,

(ख) निर्णायक प्राधिकरण,

(ग) लेनदार समिति को कारपोरेट दिवाला संकल्प प्रक्रिया में, यदि व्यावसायिक सदस्यों को अंतरिम संकल्प व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया है, या

(घ) कोई अन्य व्यक्ति जिसने ऐसे निरीक्षण के लिए सदस्य की सहमति प्राप्त कर ली है।

VII. सदस्यों के दायित्व

13. (1) एक व्यावसायिक सदस्य अपने कार्यों के निष्पादन में :-

(क) एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सद्भावनापूर्वक करेगा;

(ख) ऋणी की आस्तियों की कीमत का अधिकतम प्राप्ति करने का प्रयास करेगा;

(ग) अत्यंत ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने कार्य करेगा;

(घ) स्वतंत्र और तटस्थ रहेगा;

(ङ) अपने कार्यों को अधिकतम व्यावसायिक योग्यता और व्यावसायिकता नीति से करेगा;

(च) अपनी व्यावसायिक दक्षता में निरंतर सुधार करेगा;

(छ) अपने कर्तव्यों का निर्वहन संहिता के तहत दी गई समय सीमा के अनुसार तीव्रता और कौशलता से करेगा;

(ज) अपने कार्यों के निष्पादन में लागू नियमों का पालन करेगा; और

(झ) अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान प्राप्त सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा, जब तक कि कानून द्वारा ऐसी सूचना प्रकट करने की अपेक्षा नहीं की जाती हो।

14. एजेंसी की एक आचार संहिता होगी जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में विनिर्दिष्टानुसार आचार संहिता के अनुरूप होगी तथा उसमें सभी मामलों का प्रावधान होगा।

VIII. सदस्यों की निगरानी

15. एजेंसी की एक निगरानी नीति होगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि व्यावसायिक सदस्यों की व्यावसायिक गतिविधियाँ, नियमों, विनियमों के प्रावधानों, आचार संहिता और शासकीय बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार हैं।

16. एक व्यावसायिक सदस्य दिवाला व्यावसायिक के रूप में वर्ष में न्यूनतम दो बार चालू और समाप्त कार्यों के अभिलेखों सहित सूचना एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके और प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

17. निगरानी समिति व्यावसायिक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और अभिलेखों की निगरानी नीति के अनुसार समीक्षा करेगी।

18. निगरानी नीति में निम्नलिखित का प्रावधान होगा -

(क) निगरानी की बारंबारता;

(ख) निरीक्षण के तरीके सहित प्रस्तुतीकरण का तरीका और प्रारूप या व्यावसायिक सदस्यों की सूचना और अभिलेखों को एकत्रित करना;

(ग) निगरानी नीति का अनुपालन करने के लिए व्यावसायिक सदस्यों की बाध्यताएं;

(घ) सूचना और अभिलेखों का प्रयोग, विश्लेषण और अनुसरण;

(ङ) सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन;

(च) अन्य कोई मामले, जो शासकीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

19. निगरानी नीति में -

(क) सदस्यों की व्यक्तिगतता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा;

(ख) प्राप्त सूचना की गोपनीयता का प्रावधान होगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा या विधि द्वारा सूचना के प्रकटीकरण की अपेक्षा न की जाए; और

(ग) भेदभाव नहीं किया जाएगा।

20. एजेंसी, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके में बोर्ड को निगरानी के दौरान प्राप्त सूचना की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इसमें निम्नलिखित से संबंधित सूचना होगी :-

(क) संहिता के तहत की गई नियुक्तियों का विवरण;

(ख) उसकी नियुक्ति के दौरान हितधारकों के साथ किए गए लेन-देन;

(ग) उसकी नियुक्ति के दौरान तृतीय पक्षों के साथ किए गए लेन-देन; और

(घ) प्रत्येक नियुक्ति का परिणाम।

IX. शिकायत निवारण तंत्र

21. (1) एजेंसी की एक शिकायत निवारण नीति होगी जिसमें एजेंसी या एजेंसी के किसी व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित के द्वारा की गई शिकायतों को प्राप्त करने, कार्रवाई करने, निवारण करने और प्रकटीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान होगा:-

(क) एजेंसी के किसी व्यावसायिक सदस्य द्वारा;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो एजेंसी के संबंधित व्यावसायिक सदस्य की सेवा में है; अथवा

(ग) अन्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी, जैसा कि शासी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) शिकायत निवारण समिति, शिकायत की जांच के बाद –

(क) शिकायत रद्द कर सकती है यदि वह महत्वहीन है; अथवा

(ख) शिकायत के निवारण के लिए पक्षों में मध्यस्थता स्थापित कर सकती है।

(3) यदि शिकायत में अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया जाता है तो समिति को भेज देगी।

22. शिकायत निवारण नीति में निम्नलिखित प्रावधान होंगे:-

(i) शिकायतें दायर करने के लिए प्रारूप और तरीका;

(ii) किसी शिकायत की पावती भेजने के लिए अधिकतम समय और प्रारूप

(iii) शिकायत को रद्द करने, अनुशासनात्मक समिति के पास भेजने या मध्यस्थता के माध्यम से निपटान का अधिकतम समय;

(iv) मध्यस्थता तंत्र का विवरण;

(v) शिकायत की रिपोर्ट के प्रावधान और शिकायत को रद्द करने या समाधान करने के लिए मध्यस्थता का प्रावधान;

(vi) दुर्भावनापूर्ण और गलत शिकायतों के मामले में कार्रवाई करना;

(vii) की गई शिकायतों और उनके समाधानों का एक रजिस्टर रखना;

(viii) शिकायत निवारण तंत्र आवधिक समीक्षा करना।

X. अनुशासनात्मक कार्रवाई

23. एजेंसी व्यावसायिक सदस्यों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है:

(क) शिकायत निवारण समिति द्वारा दिए गए संदर्भ के आधार पर;

(ख) व्यावसायिक सदस्यों की निगरानी के आधार पर;

(ग) बोर्ड या किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के आधार पर

(घ) इसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना के आधार पर स्वयं संज्ञान लेते हुए

24. एजेंसी की एक अनुशासनात्मक नीति होगी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान होंगे :-

(क) ऐसा तरीका जिसमें अनुशासनात्मक समिति तथ्यों को सुनिश्चित कर सके;

(ख) तथ्यों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करना;

(ग) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर किसी तर्कसंगत आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस का निपटान करना;

(घ) कारण बताओ नोटिस के निपटान के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा; और

(ड़) कार्रवाई के लिए पक्षों के अधिकार एवं बाध्यताएं।

(2) अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) व्यावसायिक सदस्यों का निष्कासन;

(ख) व्यावसायिक सदस्य का किसी निश्चित समयावधि के लिए निलंबन;

(ग) व्यावसायिक सदस्यों को चेतावनी;

(घ) आर्थिक जुर्माना लगाना;

(च) मामलों का संदर्भ बोर्ड को देना जिनमें उचित मामलो में, बोर्ड द्वारा प्रवर्तित क्षतिपूर्ति की राशि की सिफारिश करना, या मुआवजा भी शामिल हो किया जाए; और

(छ) लागत से संबंधित निदेश।

(3) अनुशासन समिति किसी व्यावसायिक सदस्य की निष्कासन आदेश पारित कर सकती है यदि उसे ज्ञात हो की व्यावसायिक सदस्य ने निम्न कारित किया है –

(क) किसी विधि जो उस समय प्रवृत्त हो के तहत अपराध करने पर छह माह से अधिक के कारावास या अपराध जिसमें नैतिक दंड शामिल हो, से दंडित हो सकता है;

(ख) संहिता, नियमों, विनियमनों और उसके अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों, उप-विधियों या शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों का गंभीर उल्लंघन उसे दिवाला व्यावसायिक के रूप में कार्य जारी रखने के लिए अनुपयुक्त व अयोग्य बनाता है।

स्पष्टीकरण – उपखंड (ख) के उल्लंघन में निम्न शामिल है –

(i) संहिता की धारा 28, 31, 111 और 153 के अधीन क्रेडिटर्स का अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से मिथ्या प्रतिनिधित्व या कपट में शामिल होना;

(ii) संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन उस तरीके से करना जिस पर संहिता की धारा 70(2) या 185 के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

(iii) संहिता की धारा 14, 96, 101 या 124 के उल्लंघन में ज्ञात रूप से या जानबूझ कर कारित करना या कारित करने के लिए प्राधिकृत या अनुमति देना।

(iv) संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संहिता की धारा 71 या 187 के अनुसार कार्रवाई;

(v) ऐसी किसी गतिविधि में साथ देना या उकसाना जो कि संहिता के अध्याय-VII के भाग-II या अध्याय-VII के भाग-III के अनुसार कार्रवाई योग्य हो;

(vi) किसी भी पक्षकार को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा असमान एवं विषम कार्य करना जो दिवाला समापक तथा शोधन अक्षमता प्रक्रिया के हित में उचित न हो, या

(vii) किसी अन्य मामले में जो वह उचित समझे।

(4) अनुशासन समिति द्वारा पारित कोई आदेश को ऐसे उल्लिखित आदेश के पारित करने के सात दिवस के भीतर वेबसाइट पर रखना होगा और आदेश की एक प्रति कार्रवाई के पक्षकारों को प्रदान करनी होगी।

(5) एजेंसी द्वारा अनुशासन समिति के आदेशों के अंतर्गत प्राप्त मौद्रिक दंड को संहिता की धारा 224 के अंतर्गत गठित दिवाला और अशोधन क्षमता निधि में जमा कराना होगा।

25. (1) शासी बोर्ड एक अपीलीय पैनल का गठन करेगा जिसमें एजेंसी का एक स्वतंत्र निदेशक, विधि के क्षेत्र का व्यापक अनुभव वाले ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से एक सदस्य, एक सदस्य बोर्ड द्वारा नामित होगा।

(2) अनुशासन समिति के आदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति अपीलीय पैनल के समक्ष अपील अंतिम आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

(3) अपीलीय पैनल, अपील की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर निपटान उस तरीके से करेगा जो वह वांछनीय समझे।

XI. व्यावसायिक सदस्यता का समर्पण और व्यावसायिक सदस्यता से निष्कासन

व्यावसायिक सदस्यता का अस्थायी समर्पण

26. (1) एक व्यावसायिक सदस्य एजेंसी की सदस्यता का अस्थायी समर्पण का आवेदन कम से कम तीस दिवस पहले करेगा जब वह

(क) भारत का नागरिक न रहे;

(ख) कहीं और नियोजन स्वीकार करे; या

(ग) कोई व्यवसाय शुरू करे, सिवाय इसके कि आचार संहिता के अंतर्गत विशिष्ट रूप से स्वीकृति दी गई हो,

और ऐसी अस्थायी समर्पण की स्वीकृति पर और अस्थायी समर्पण के आवेदन करने की तिथि के तीस दिवस पूरे होने पर, व्यावसायिक सदस्य का नाम एजेंसी के रजिस्टर से अस्थायी रूप से हटा दिया जाएगा और उसे बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

(2) एजेंसी की व्यावसायिक सदस्यता के अस्थायी समर्पण का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि –

(क) एजेंसी या बोर्ड के समक्ष व्यावसायिक सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो और उसने कोई वचन ऐसी प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए नहीं दिया हो; या

(ख) व्यावसायिक सदस्य को संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया में संकल्प व्यवसायी, समापक या अशोधन न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया है और अन्य दिवाला व्यवसायी की नियुक्ति ऐसी प्रक्रिया में हानिकारक हो सकती है।

(3) एक व्यावसायिक सदस्य, उसकी अस्थायी समर्पित सदस्यता को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जब उपखंड (1) में दी गई अस्थायी समर्पण शर्तें लागू न होती हों और उसकी पुनर्जीवन आवेदन स्वीकार होने पर व्यावसायिक सदस्य का नाम एजेंसी के रजिस्टर में पुनः अंतस्थापित कर दिया जाएगा और उसे बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

व्यावसायिक सदस्यता का समर्पण

27. (1) व्यावसायिक सदस्य जो एजेंसी की सदस्यता के समर्पण का इच्छुक है वह सदस्यता के समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर ऐसा कर सकता है।

(2) सदस्यता के समर्पण की स्वीकृति के और ऐसी स्वीकृति के तीस दिवस पूरे होने पर व्यावसायिक सदस्य का नाम एजेंसी के रजिस्टरों से काटा जाएगा और यह बोर्ड को सूचित किय जाएगा।

28. एजेंसी की व्यावसायिक सदस्यता से हटने के लिए आवेदन करने वाले सदस्य के ऊपर बकाया एजेंसी का कोई भी शुल्क एजेंसी के रजिस्टर से उसका नाम हटाने से पहले वसूला जाएगा।

29. किसी व्यावसायिक सदस्य द्वारा सदस्यता समर्पण को एजेंसी स्वीकार करने से मना कर सकती है यदि –

(क) यदि एजेंसी या बोर्ड के समक्ष व्यावसायिक सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या

(ख) व्यावसायिक सदस्य को संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया में संकल्प व्यवसायी, समापक या अशोधन न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया हो और अन्य दिवाला व्यवसायी की नियुक्ति ऐसी प्रक्रिया में हानिकारक हो सकती है।

व्यावसायिक सदस्यता से निष्कासन

30. एजेंसी द्वारा व्यावसायिक सदस्य का निष्कासन किया जाएगा –

(क) यदि वह उप-विधि 9 के अंतर्गत नामांकन के लिए अयोग्य हो जाए;

(ख) अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश के तीस दिवस की समाप्ति पर सिवाय उस स्थिति के जबकि वह अपीलीय पैनल द्वारा रद्द या स्थगन आदेश पारित किया हो;

(ग) लिखित में कम से कम दो बार सूचना देने के बावजूद व्यावसायिक सदस्यता शुल्क का भुगतान न करने पर;

(घ) बोर्ड द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्त करने पर;

(ङ) कोई विधि न्यायालय के आदेश पर।

अनुलग्नक

प्रारूप क

व्यावसायिक सदस्यता का प्रमाणपत्र

(एजेंसी के उप-विधियों की उप-विधि 10 के अंतर्गत)

सं. ....

1. यह प्रमाणित किया जाता है [नाम प्रविष्ट करें] जो निवासी [पता प्रविष्ट] को व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन [दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम प्रविष्ट करें] उनकी व्यावसायिक सदस्यता संख्या [संख्या प्रविष्ट करें] के साथ किया जाता है।

2. यह प्रमाण पत्र [तारीख प्रविष्ट करें] से वैध होगा।

हस्ताक्षर

के लिए उनकी तरफ से [दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम]

स्थानः

तारीखः

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन.-III/4/असा./308]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2016

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016

IBBI/2016-17/GN/REG001.— In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following Regulations, namely -

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016.

   (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires-

   (a) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

   (b) "Governing Board" means the Board of Directors, as defined under section 2(10) of Companies Act, 2013 (18 of 2013), of the company registered as an insolvency professional agency;

   (c) "model bye-laws" means the model bye-laws as contained in the Schedule to these Regulations.

   (2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these Regulations shall have the meanings assigned to them in the Code.

CHAPTER II
BYE LAWS

Insolvency professional agencies to have Bye-Laws.

3. (1) A company shall submit to the Board its bye-laws along with the application for its registration as an insolvency professional agency.

   (2) The bye-laws shall provide for all matters specified in the model bye-laws.

   (3) The bye-laws shall at all times be consistent with the model bye-laws.

   (4) The insolvency professional agency shall publish its bye-laws, the composition of all committees formed, and all policies created under the bye-laws on its website.

Amendment of Bye-Laws.

4. (1) The Governing Board may amend the bye-laws by a resolution passed by votes in favour being not less than three times the number of the votes, if any, cast against the resolution, by the directors.

   (2) A resolution passed in accordance with sub-regulation (1) shall be filed with the Board within seven days from the date of its passing, for its approval.

   (3) The amendments to the bye-laws shall come into effect on the seventh day of the receipt of the approval, unless otherwise specified by the Board.

(4) The insolvency professional agency shall file a printed copy of the amended bye-laws with the Board within fifteen days from the date when such amendment is made effective.

CHAPTER III
GOVERNING BOARD

Composition of the Governing Board.

5. (1) The Governing Board shall have a minimum of seven directors.

(2) More than half of the directors shall be persons resident in India at the time of their appointment, and at all times during their tenure as directors.

(3) Not more than one fourth of the directors shall be insolvency professionals.

(4) More than half of the directors shall be independent directors at the time of their appointment, and at all times during their tenure as directors:

Provided that no meeting of the Governing Board shall be held without the presence of at least one independent director.

(5) An independent director shall be an individual-

(a) who is a person of ability and integrity;

(b) who has expertise in the field of finance, law, management or insolvency.

(c) who is not an insolvency professional;

(d) who is not a relative of the directors of the Governing Board;

(e) who had or has no pecuniary relationship with the insolvency professional agency, or any of its directors, or any of its shareholders holding more than ten percent of its share capital, during the two immediately preceding financial years or during the current financial year;

(f) who is not a shareholder of the insolvency professional agency;

(g) who is not a member of a governing council of any of the shareholders holding more than ten percent of the share capital of the insolvency professional agency; and

(6) The directors shall elect an independent director as the Chairperson of the Governing Board.

Explanation - For the purposes of this Regulation, any fraction contained in

(a) 'more than half' shall be rounded off to the next higher number; and

(b) 'not more than one- fourth' shall be rounded down to the next lower number.

SCHEDULE
MODEL BYE-LAWS OF AN INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCY
[Under Regulation 3 read with Regulation 2(1)(c)]

I. GENERAL

1. The name of the Insolvency Professional Agency is "____" (hereinafter referred to as the 'Agency').

2. The Agency is registered as a company under section 8 of the Companies Act, 2013 with its registered office situated at ______ *[provide full address]*.

3. These bye-laws may not be amended, except in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016.

II. DEFINITIONS

4. (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires -

(a) "certificate of membership" means the certificate of membership of the Agency granted under bye-law 10;

(b) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(c) "Governing Board" means the Board of Directors of the Agency as defined under section 2(10) of Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(d) "professional member" means an insolvency professional who has been enrolled as such, in accordance with Part VI of these bye-laws;

(e) "relative" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(77) of the Companies Act, 2013.

(2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these bye-laws shall have the meanings assigned to them in the Code.

III. OBJECTIVES

5. (1) The Agency shall carry on the functions of the insolvency professional agency under the Code, and functions incidental thereto.

(2) The Agency shall not carry on any function other than those specified in sub-clause (1), or which is inconsistent with the discharge of its functions as an insolvency professional agency.

IV. DUTIES OF THE AGENCY

6. (1) The Agency shall maintain high ethical and professional standards in the regulation of its professional members.

(2) The Agency shall -

(a) ensure compliance with the Code and rules, regulations and guidelines issued thereunder governing the conduct of insolvency professional agencies and insolvency professionals;

(b) employ fair, reasonable, just, and non-discriminatory practices for the enrolment and regulation of its professional members;

(c) be accountable to the Board in relation to all bye-laws and directions issued to its professional members;

(d) develop the profession of insolvency professionals;

(e) promote continuous professional development of its professional members;

(f) continuously improve upon its internal regulations and guidelines to ensure that high standards of professional and ethical conduct are maintained by its professional members; and

(g) provide information about its activities to the Board.

V. COMMITTEES OF THE AGENCY

Advisory Committee of Professional Members.

7. (1) The Governing Board may form an Advisory Committee of professional members of the Agency to advise it on any matters pertaining to-

(a) the development of the profession;

(b) standards of professional and ethical conduct; and

(c) best practices in respect of insolvency resolution, liquidation and bankruptcy.

(2) The Advisory Committee may meet at such places and times as the Governing Board may provide.

Other Committees of the Agency.

8. (1) The Governing Board shall constitute-

(a) one or more Membership Committee(s) consisting of such members as it deems fit;

(b) a Monitoring Committee consisting of such members as it deems fit;

(c) one or more Grievance Redressal Committee(s), with not less than three members, at least one of whom shall be a professional member of the Agency;

(d) one or more Disciplinary Committee(s) consisting of at least one member nominated by the Board.

(2) The Chairperson of each of these Committees shall be an independent director of the Agency.

VI. PROFESSIONAL MEMBERSHIP

Eligibility for Enrolment.

9. No individual shall be enrolled as a professional member if he is not eligible to be registered as an insolvency professional with the Board:

Provided that the Governing Board may provide additional eligibility requirements for enrolment:

Provided further that such additional requirements shall not discriminate on the grounds of religion, race, caste, gender, place of birth or professional affiliation.

Process of Enrolment as Professional Member.

10. (1) An individual may apply for enrolment as a professional member by submitting an application in such form, in such manner and with such fees as may be specified by the Agency.

(2) The Agency shall examine the application in accordance with the applicable provisions of the Code, and rules, regulations and guidelines thereunder.

(3) On examination of the application, the Agency shall give an opportunity to the applicant to remove the deficiencies, if any, in the application.

(4) The Agency may require an applicant to submit additional documents, information or clarification that it deems fit, within reasonable time.

(5) The Agency may reject an application if the applicant does not satisfy the criteria for enrolment or does not remove the deficiencies or submit additional documents or information to its satisfaction, for reasons recorded in writing.

(6) The rejection of the application shall be communicated to the applicant stating the reasons for such rejection, within thirty days of the receipt of the application, excluding the time given for removing the deficiencies or presenting additional documents or clarification by the Agency, as the case may be.

(7) The acceptance of the application shall be communicated to the applicant, along with a certificate of membership in Form A of the Annexure to these bye-laws.

(8) An applicant aggrieved of a decision rejecting his application may appeal to the Membership Committee of the Agency within thirty days from the receipt of such decision.

(9) The Membership Committee shall pass an order disposing of the appeal in the manner it deems expedient, within thirty days of the receipt of the appeal.

Professional Membership Fee.

11. The Agency may require the professional members to pay a fixed sum of money as its annual membership fee.

Register of Professional Members.

12. (1) The Agency shall maintain a register of its professional members, containing their-

(a) name;

(b) proof of identity;

(c) contact details;

(d) address;

(e) date of enrolment and professional membership number;

(f) date of registration with the Board and registration number;

(g) details of grievances pending against him with the Agency;

(h) details of disciplinary proceedings pending against him with the Agency; and

(i) details of orders passed against him by the Board or Disciplinary Committee of the Agency.

(2) The records relating to a professional member shall be made available for inspection to-

(a) the Board,

(b) the Adjudicating Authority,

(c) the committee of creditors in a corporate insolvency resolution process where the professional member has been appointed as an interim resolution professional, or

(d) any other person who has obtained the consent of the member for such inspection.

VII. DUTIES OF MEMBERS

13. (1) In the performance of his functions, a professional member shall-

(a) act in good faith in discharge of his duties as an insolvency professional;

(b) endeavour to maximize the value of assets of the debtor;

(c) discharge his functions with utmost integrity and objectivity;

(d) be independent and impartial;

(e) discharge his functions with the highest standards of professional competence and professional ethics;

(f) continuously upgrade his professional expertise;

(g) perform duties as quickly and efficiently as reasonable, subject to the timelines under the Code;

(h) comply with applicable laws in the performance of his functions; and

(i) maintain confidentiality of information obtained in the course of his professional activities unless required to disclose such information by law.

14. The Agency shall have a Code of Conduct that shall be consistent with, and that shall provide for all matters in the Code of Conduct as specified in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

VIII. MONITORING OF MEMBERS

15. The Agency shall have a Monitoring Policy to monitor the professional activities and conduct of professional members for their adherence to the provisions of the Code, rules, regulations and guidelines issued thereunder, these bye-laws, the Code of Conduct and directions given by the Governing Board.

16. A professional member shall submit information, including records of ongoing and concluded engagements as an insolvency professional, in the manner and format specified by the Agency, at least twice a year.

17. The Monitoring Committee shall review the information and records submitted by the professional members in accordance with the Monitoring Policy.

18. The Monitoring Policy shall provide for the following -

(a) the frequency of monitoring;

(b) the manner and format of submission or collection of information and records of the professional members, including by way of inspection;

(c) the obligations of professional members to comply with the Monitoring Policy;

(d) the use, analysis and storage of information and records;

(e) evaluation of performance of members; and

(f) any other matters that may be specified by the Governing Board.

19. The Monitoring Policy shall –

(a) have due regard for the privacy of members,

(b) provide for confidentiality of information received, except when disclosure of information is required by the Board or by law, and

(c) be non-discriminatory.

20. The Agency shall submit a report to the Board in the manner specified by the Board with information collected during monitoring, including information pertaining to -

(a) the details of the appointments made under the Code,

(b) the transactions conducted with stakeholders during the period of his appointment;

(c) the transactions conducted with third parties during the period of his appointment; and

(d) the outcome of each appointment.

IX. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

21. (1) The Agency shall have a Grievance Redressal Policy providing the procedure for receiving, processing, redressing and disclosing grievances against the Agency or any professional member of the Agency by-

(a) any professional member of the Agency;

(b) any person who has engaged the services of the concerned professional members of the Agency; or

(c) any other person or class of persons as may be provided by the Governing Board.

(2) The Grievance Redressal Committee, after examining the grievance, may-

(a) dismiss the grievance if it is devoid of merit; or

(b) initiate a mediation between parties for redressal of grievance.

(3) The Grievance Redressal Committee shall refer the matter to the Disciplinary Committee, wherever the grievance warrants disciplinary action.

22. The Grievance Redressal Policy shall provide for-

(a) the format and manner for filing grievances;

(b) maximum time and format for acknowledging receipt of a grievance;

(c) maximum time for the disposal of the grievance by way of dismissal, reference to the Disciplinary Committee or the initiation of mediation;

(d) details of the mediation mechanism

(e) provision of a report of the grievance and mediation proceedings to the parties to the grievance upon dismissal or resolution of the grievance;

(f) action to be taken in case of malicious or false complaints;

(g) maintenance of a register of grievances made and resolutions arrived at; and

(h) periodic review of the Grievance Redressal Mechanism.

X. DISCIPLINARY PROCEEDINGS

23. The Agency may initiate disciplinary proceedings by issuing a show-cause notice against professional members-

(a) based on a reference made by the Grievances Redressal Committee;

(b) based on monitoring of professional members;

(c) following the directions given by the Board or any court of law; or

(d) *suo moto*, based on any information received by it.

24. (1) The Agency shall have a Disciplinary Policy, which shall provide for the following -

(a) the manner in which the Disciplinary Committee may ascertain facts;

(b) the issue of show-cause notice based on the facts;

(c) disposal of show-cause notice by a reasoned order, following principles of natural justice;

(d) timelines for different stages of disposal of show cause notice; and

(e) rights and obligations of the parties to the proceedings.

(2) The orders that may be passed by the Disciplinary Committee shall include-

(a) expulsion of the professional member;

(b) suspension of the professional member for a certain period of time;

(c) admonishment of the professional member;

(d) imposition of monetary penalty;

(e) reference of the matter to the Board, which may include, in appropriate cases, recommendation of the amount of restitution or compensation that may be enforced by the Board; and

(f) directions relating to costs.

(3) The Disciplinary Committee may pass an order for expulsion of a professional member if it has found that the professional member has committed-

(a) an offence under any law for the time being in force, punishable with imprisonment for a term exceeding six months, or an offence involving moral turpitude;

(b) a gross violation of the Code, rules, regulations and guidelines issued thereunder, bye-laws or directions given by the Governing Board which renders him not a fit and proper person to continue acting as an insolvency professional.

Explanation: The violations referred to in sub-clause (b) include-

(i) making a false representation or indulging in fraud for the purpose of obtaining creditors' approval under sections 28, 31, 111 or 153 of the Code;

(ii) contravening provisions of the Code in a manner which is actionable in accordance with sections 70(2) or 185 of the Code;

(iii) knowingly or wilfully committing or authorizing or permitting contravention of sections 14, 96, 101 or 124 of the Code;

(iv) contravening provisions of the Code inviting action in accordance with sections 71 or 187 of the Code;

(v) aiding or abetting any activity which is actionable in accordance with Chapter VII of Part II or Chapter VII of Part III of the Code,

(vi) providing unequal or differential treatment to the disadvantage of a party which cannot be justified with reference to the interests of the insolvency resolution, liquidation or bankruptcy process; or

(vii) in any other case it deems fit.

(4) Any order passed by the Disciplinary Committee shall be placed on the website of the Agency within seven days from passing of the said order, and a copy of the order shall be provided to each of the parties to the proceeding.

(5) Monetary penalty received by the Agency under the orders of the Disciplinary Committee shall be credited to the Insolvency and Bankruptcy Fund constituted under section 224 of the Code.

25. (1) The Governing Board shall constitute an Appellate Panel consisting of one independent director of the Agency, one member from amongst the persons of eminence having experience in the field of law, and one member nominated by the Board.

(2) Any person aggrieved of an order of the Disciplinary Committee may prefer an appeal before the Appellate Panel within thirty days from the receipt of a copy of the final order.

(3) The Appellate Panel shall dispose of the appeal in the manner it deems expedient, within thirty days of the receipt of the appeal.

XI. SURRENDER OF PROFESSIONAL MEMBERSHIP AND EXPULSION FROM PROFESSIONAL MEMBERSHIP

Temporary Surrender of Professional Membership.

26. (1) A professional member shall make an application for temporary surrender of his membership of the Agency at least thirty days before he-

(a) becomes a person not resident in India;

(b) takes up employment; or

(c) starts any business, except as specifically permitted under the Code of Conduct;

and upon acceptance of such temporary surrender and on completion of thirty days from the date of application for temporary surrender, the name of the professional member shall be temporarily struck from the registers of the Agency, and the same shall be intimated to the Board.

(2) No application for temporary surrender of professional membership of the Agency shall be accepted if -

(a) there is a grievance or disciplinary proceeding pending against the professional member before the Agency or the Board, and he has not given an undertaking to cooperate in such proceeding; or

(b) the professional member has been appointed as a resolution professional, liquidator or bankruptcy trustee for a process under the Code, and the appointment of another insolvency professional may be detrimental to such process.

(3) A professional member may make an application to revive his temporarily surrendered membership when the conditions for temporary surrender as provided in sub-clause (1) cease to be applicable, and upon acceptance of the application for revival, the name of the professional member shall be re-inserted in the register of the Agency, and the same shall be intimated to the Board.

Surrender of Professional Membership

27. (1) A professional member who wishes to surrender his membership of the Agency may do so by submitting an application for surrender of his membership.

(2) Upon acceptance of such surrender of his membership, and completion of thirty days from the date of such acceptance, the name of the professional member shall be struck from the registers of the Agency, and the same shall be intimated to the Board.

28. Any fee that is due to the Agency from a professional member surrendering his membership shall be cleared prior to his name being struck from the registers of the Agency.

29. The Agency may refuse to accept the surrender of membership by any professional member if -

(a) there is any grievance or disciplinary proceeding pending against the professional member before the Agency or the Board; or

(b) the professional member has been appointed as a resolution professional, liquidator or bankruptcy trustee for a process under the Code, and the appointment of another insolvency professional may be detrimental to such process.

Expulsion from Professional Membership.

30. A professional member shall be expelled by the Agency –

(a) if he becomes ineligible to be enrolled under bye-law 9;

(b) on expiry of thirty days from the order of the Disciplinary Committee, unless set aside or stayed by the Appellate Panel;

(c) upon non-payment of professional membership fee despite at least two notices served in writing;

(d) upon the cancellation of his certificate of registration by the Board;

(e) upon the order of any court of law.

ANNEXURE

FORM A

CERTIFICATE OF PROFESSIONAL MEMBERSHIP
(Under bye-law 10 of the Agency's bye-laws)

No. ....

1. This is to certify that *[insert name]* residing at *[insert address]* is enrolled as a professional member of *[insert name of insolvency professional agency]* with professional membership no. *[insert number]*.

2. This certificate shall be valid from *[insert date]*.

Sd/-
For and on behalf of *[name of insolvency professional agency]*

Place:
Date:

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./308]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.11.22 22:06:05 +05'30'